न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अपील प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–छतरपुर

अपील 7011-I-15

बारेलाल अहिरवार तनय श्री नथुआ अहिरवार निवासी– लखैरी तहसील राजनगर, जिला – छतरपुर (म.प्र.)

––अपीलार्थी

श्री .... द्वारा आज दि. 22.7.15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1– अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महोदय राजनगर (म.प्र.)

2– उप–पंजीयक महोदय राजनगर जिला –छतरपुर (म.प्र.)

–––प्रत्यर्थीगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 285/अ0वि0अ0/2015 राजनगर द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर पारित आदेश दिनांक 03.06.2015 क्रमांक 22/जि0पं0/स्था0/2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश दस्तावेंज लेखक अनुज्ञा नियम 2014 के अन्तर्गत अपील

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, आवेदक/अपीलार्थी बारेलाल अहिरवार तनय श्री नथुआ अहिरवार निवासी ग्राम लखेरी तहसील राजनगर जिला छतरपुर एक अनुज्ञाप्ति धारी स्टॉम्प विक्रेता है। जिसका लायसेंस क्रमांक 116/2015–16 जोकि स्टॉम्प टिकिट आदि को विक्रय कर अपना एवं अपने परिवार का भरण पोषण करता है उक्त प्रकरण में आवेदक अपीलार्थी का लायसेंस सड़यन्त्र पूर्वक निरस्त करा दिया गया है।

2– यहकि, आवेदक अपीलार्थी स्टॉम्प बैण्डर है जोकि राजनगर तहसील प्रांगण में स्टॉम्प विक्रेय का व्यवसाय करता है आवेदक के साथ अन्य स्टॉम्प बैण्डर भी स्टॉम्प विक्रय का व्यवसाय करते है। जिसमें दिलीप पीपर नाम का स्टॉम्प विक्रेता आवेदक के अत्यन्त निकट बैठकर स्टॉम्प विक्रय का कार्य करता रहा है एवं उससे आवेदक के मधुर संबंध होने से आपसी प्रेम एवं लेनदेन चलता रहा है। दिनांक 07.04.2015 को प्रिंस जैन दिलीप पीपर के पास आया एवं कुछ समान लिया तथा दिलीप पीपर ने आवेदक अपीलार्थी को बुलाया एवं कहा कि प्रिंस जैन को 100 रूपये का स्टॉम्प दे दो एवं दो सौ रूपयें ले लेना तब मैने 100 रूपये का स्टॉम्प प्रिंस जैन को दे दिया एवं दो सौ रूपये रख लिये। जब मुझे पता चला कि 100 रूपये ज्यादा ले लिये है तो मैने 100 रूपये प्रिंस जैन को वापिस कर दिये आवेदक द्वारा 100 रूपये का स्टॉम्प 100 रूपये बेचा गया

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील-7011-एक/2015 जिला छतरपुर बारेलाल विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 285/अ.वि.अ./2015 में पारित आदेश दिनांक 03-06-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 22-07-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

06/02/19

3

	के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 15-04-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । (आर.के. जैन) 06/02/19 सदस्य	